भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1728

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1728. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी गई है और इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी और यह कैसे सुनिश्चित होगा कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों का प्रभुत्व न हो;

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि से बाजार प्रतिस्पर्धा में कमी न आए अथवा घरेलू बीमा कंपनियों, विशेषकर भारतीय स्वामित्व वाली छोटी कंपनियों को हानि न पहुंचे;

(ग) बीमा पॉलिसी तैयार करने पर अनुचित विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि इस क्षेत्र के विकास में देश के हित सबसे आगे रहें; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि विदेशी निवेश में वृद्धि से विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में आम आदमी के लिए प्रीमियम में वृद्धि न हो अथवा बीमा उत्पादों की पहुंच में कमी न हो?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा को 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों को उपलब्ध होगी जो अपना संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। सरकार का लक्ष्य भारतीय बीमा क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करना है, जिसके अगले पांच वर्षों में सालाना 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वैश्विक और उभरते बाजार की वृद्धि को पीछे छोड़ देगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 100% तक बढ़ाने से स्थिर और धारणीय निवेश को आकर्षित करने तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने और पूरे भारत में बीमा पैठ में सुधार करने में मदद मिलेगी। बढ़ा हुआ एफडीआई घरेलू पहल का पूरक होगा और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। इससे देश में बीमाकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धा होगी जो बदले में प्रीमियम मूल्य निर्धारण के लिए अधिक संरचित और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए इरडा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित क्षेत्र विनियामक है। इरडाई उद्योग-व्यापी परामर्श प्रक्रिया के पश्चात्, विकसित परिदृश्य के आधार पर बीमा उद्योग के लिए विनियामकीय निर्देश जारी करता है। इरडाई द्वारा विनियामकीय निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि यह क्षेत्र नागरिकों के सर्वोत्तम हित में संचालित हो।

******